



फर्द अहकाम (नियम 26)  
 अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर  
 विद्यादेवी वगैरह बनाम जीतराम व स्टेट  
 अपील प्रकरण सं० 45/2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
22.07.15	<p>अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अधिवक्ता को सुना गया। प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में लगता है अतः आगामी तारीख पेशी तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाने का स्थगन आदेश पृथक से लिखाया गया।</p> <p>रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश से संबंधित मूल रेकार्ड तलब करें। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.08.2015 को पेश हो।</p>	<p>M.2          1594-16          68</p>
27.8.15	<p>अपीलांट के अधिवक्ता उप० पूर्व में जारी स्थगन की अवधि आ० पेशी तक बढ़ाई जाती है। रेस्पोंडेंट को जारी सम्मन वाव / अवसु तासील अप्राप्त। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 8.10.15 को पेश हो।</p>	
8.10.15	<p>अपीलांट के अधिवक्ता उप० पूर्व में जारी स्थगन की अवधि आ० पेशी तक बढ़ाई जाती है। रेस्पोंडेंटस को जारी सम्मन वाव / अवसु तासील अप्राप्त। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 23.11.15 को पेश हो।</p>	
23.11.15	<p>अभिसाधक उसय पक्ष उप० रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दि० 12.1.16 को पेश हो।</p>	
12.01.16	<p>अभिसाधक उसय पक्ष उप० रिकॉर्ड अप्राप्त तलब करें। पत्रावली दिनांक 16.02.16 को पेश हो।</p>	

## कार्यालय टिप्पणी

6/7/18 अतिरिक्त उभयपक्ष उपस्थित। बंधु हेतु जमा  
प्राधी पत्रावली कालि 08/08/18  
आदेश की

10.08.2018

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी संख्या 03-04 ने आदेशिका दिनांक 09.02.2017 में जरिये अधिवक्ता श्री गुरमेल सिंह उपस्थित होकर अपील को अपनी सीमा तक नहीं चलाना चाहते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी संख्या 03-04 की पहचान अधिवक्ता श्री गुरमेल सिंह ने की। अपीलार्थी संख्या 02 ने आदेशिका दिनांक 14.05.2018 को स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपील अपनी सीमा तक नहीं चलाना चाहती। अपीलार्थी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता श्री विजय रेवाड ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थिया अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है। अपीलार्थिया की पहचान अधिवक्ता श्री विजय रेडवा ने की। अतः अपील अपीलार्थीगण संख्या 01 ता 04 के द्वारा आगे नहीं चलाने के कारण निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित विभाग को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे एवं बाद तकमील अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।



(नखतदान बारडल)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

  
N. K. Barwal  
21/8/18  
